

**प्रपत्र-2**  
**अन्तिम देय प्रमाण-पत्र**

प्रेषक,

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

सेवा में,

अपर निदेशक,  
कोषागार एवं पेंशन,

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

संख्या

दिनांक

विषय :- पेंशन प्रपत्रों का अग्रसारण।

महोदय,

इस कार्यालय के श्री/श्रीमती \_\_\_\_\_ पदनाम \_\_\_\_\_ के पेंशन प्रपत्र आपको इस कार्यालय के पत्र संख्या \_\_\_\_\_ दिनांक \_\_\_\_\_ द्वारा स्वीकृतार्थ अग्रसारित किये गये थे। श्री/श्रीमती \_\_\_\_\_ द्वारा सेवानिवृत्त होने पर दिनांक \_\_\_\_\_ को कार्यभार छोड़ दिया गया है।

2-श्री/श्रीमती \_\_\_\_\_ के अन्तिम दस माह की वास्तविक परिलब्धियों के सम्बन्ध में प्रपत्र-1, भाग-5 के प्रस्तर-12 में पूर्व प्रेषित सूचना के उपरान्त कोई परिवर्तन नहीं हुआ/निम्न परिवर्तन हुआ है :-

**अन्तिम दस माह की औसत परिलब्धियों का पुनरीक्षित आंगणन**

क्र०सं०	माह का नाम	परिलब्धियां
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
योग		

औसत परिलब्धियां

(योग ÷ 10)	
------------	--

3-प्रपत्र-1, भाग-5 के प्रस्तर-26 के (1) से (7) उप प्रस्तरों में श्री/श्रीमती \_\_\_\_\_ के विरुद्ध निम्न मदों में उनके सम्मुख निम्नलिखित धनराशि शेष दर्शायी गयी थी :-

(1) भवन-निर्माण अग्रिम	रु0 _____
(2) मोटर कार/मोटर साइकिल/स्कूटर/मोपेड अग्रिम	रु0 _____
(3) किसी अन्य प्रकार का अग्रिम	रु0 _____
(4) सरकारी आवास से सम्बन्धित धनराशि	रु0 _____
(5) ऑडिट के परिणामस्वरूप देय धनराशि	रु0 _____
(6) विभागीय अथवा अन्य कार्यवाही के परिणामस्वरूप देय धनराशि	रु0 _____
(7) अन्य मदों (मद स्पष्ट की जाय) के अन्तर्गत देय धनराशि	रु0 _____

योग कुल रु0 \_\_\_\_\_

(8) भाग-5 के प्रस्तर-26 के प्रस्तर (8) में न्यायिक/वैभागीक/प्रशासनिक जाँच की स्थिति निम्न थी :-

4-उपरोक्त सरकारी सेवक द्वारा सेवानिवृत्ति के दिनांक तक उपर्युक्त प्रस्तर-3 में (1) से (7) उप प्रस्तरों में दिखाई गई मदों के अधीन सभी धनराशियों का भुगतान कर दिया गया है/निम्न धनराशियां शेष हैं :-

(1) भवन-निर्माण अग्रिम	रु0 _____
(2) मोटर कार/मोटर साइकिल/स्कूटर/मोपेड अग्रिम	रु0 _____
(3) किसी अन्य प्रकार का अग्रिम	रु0 _____
(4) सरकारी आवास से सम्बन्धित धनराशि	रु0 _____
(5) ऑडिट के परिणामस्वरूप देय धनराशि	रु0 _____
(6) विभागीय अथवा अन्य कार्यवाही के परिणामस्वरूप देय धनराशि	रु0 _____
(7) अन्य मदों (मद स्पष्ट की जाय) के अन्तर्गत देय धनराशि	रु0 _____

योग कुल रु0 \_\_\_\_\_

उपरोक्त अवशेष धनराशि कुल रु0 \_\_\_\_\_ का समायोजन पेंशन/उपादान से कर लिया जाय।

(8) सेवानिवृत्त के दिनांक को लम्बित न्यायिक/वैभागीक/प्रशासनिक जाँच की स्थिति शून्य है/जाँच के पश्चात् अन्तिम निर्णयों का उल्लेख निम्नानुसार है :-

(यथा श्री/श्रीमती \_\_\_\_\_ के पेंशन के \_\_\_\_\_ भाग को कम करने/कुल उपादान रोकने/कुल स्वीकृत उपादान में से रु0 \_\_\_\_\_ की कटौती करने/राशिकरण रोकने/राशिकरण में से रु0 \_\_\_\_\_ की कटौती करने/अन्य कोई आदेश/सेवा से पदच्युत होने के कारण कोई सेवानिवृत्तिक लाभ न दिये जाने के आदेश हैं। आदेश की प्रति संलग्न है।)

5-सरकारी सेवक को कार्यालय आदेश संख्या \_\_\_\_\_ दिनांक \_\_\_\_\_ के द्वारा रु0 \_\_\_\_\_ की अनन्तिम पेंशन प्रतिमाह तथा उपादान रु0 \_\_\_\_\_ की धनराशि अनन्तिम सेवानिवृत्ति उपादान/मृत्यु उपादान के रूप में स्वीकृत की जा चुकी है और इसका भुगतान इस कार्यालय द्वारा किया जा चुका है/ इसका भुगतान इस कार्यालय द्वारा कर दिया जायेगा।

आपसे अनुरोध है कि आप उपर्युक्त सरकारी सेवक के सेवानिवृत्ति उपादान/मृत्यु उपादान से सेवानिवृत्ति/मृत्यु के दिनांक को उपरोक्त प्रस्तर-4 व 5 में अंकित कुल रु0 \_\_\_\_\_ की कटौती करने के पश्चात् अन्तिम पेंशन एवं सेवानिवृत्ति/मृत्यु उपादान स्वीकृत कर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करने की कृपा करें।

भवदीय

(हस्ताक्षर-कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष)  
(सील सहित)

संख्या \_\_\_\_\_ दिनांक \_\_\_\_\_

प्रतिलिपि :-

1-कोषाधिकारी \_\_\_\_\_ को इस आशय से प्रेषित है कि उपर्युक्त अधिकारी/कर्मचारी की सेवा-निवृत्ति/मृत्यु उपादान से उपरोक्त के अनुसार कटौती करके (यदि अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन के स्तर से सूचित न की गयी हो) अधोहस्ताक्षरी को सूचित करने का कष्ट करें। यदि उपर्युक्त अधिकारी/कर्मचारी द्वारा ऐसी धनराशि का भुगतान पहले ही किया जा चुका हो तो अपने स्तर पर उसके सम्बन्ध में आवश्यक साक्ष्य एकत्रित करके उपादान की शेष धनराशि अवमुक्त कर दें।

2-श्री/श्रीमती \_\_\_\_\_ (पेंशनर का नाम) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (पूर्ण पता ) को सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय

(हस्ताक्षर-कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष)  
(सील सहित)